

यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) के माह- 04/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री वजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री एस.एस. राणा AAO एवं श्री र व शंकर AAO द्वारा दिनांक 26.01.2018 से 31.01.2018 तक श्री एसओ केओ जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

#### भाग-I

परिचयात्मक:1. इस इकाई की स्वतंत्र रूप से यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2(ii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: आगंबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को 1-अनुपूरक पोषाहार 2-स्वास्थ्य परीक्षण 3-संदर्भ सेवाएं 4-प्रतिरक्षण टीकाकरण 5-पोषण एवम स्वास्थ्य शिक्षा 6-स्कूल पूर्व शिक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शिक्षा)।

समस्त लक्सर विकासखण्ड।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	0.00	0.00	398.71	390.54	465.08	465.08	0.00	08.17
2016-17	0.00	0.00	389.83	366.63	535.70	527.57	0.00	31.33
2017-18 (12/2017 तक)	0.00	0.00	718.07	315.48	743.40	147.68	0.00	998.31

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम।	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)	बचत(-)
2015-16	टी.एच.आर. /मानदेय	0.00	616.82	616.39	0.00	0.43
2016-17	टी.एच.आर. /मानदेय	0.00	711.60	702.98	0.00	8.62
2017-18 (12/2017 तक)	टी.एच.आर. /मानदेय	0.00	595.85	288.07	0.00	307.78

- (iii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई केंद्र से धनराश प्राप्त करता है तथा अश्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:
1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.
- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः लेखापरीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 09/2015 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित किया गया। नन्दादेवी योजना, टी.एच.आर. फूड एवं मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना आदि का वस्तुतः विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। के आधार पर किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 'ब'

प्रस्तर 1:- ब्याज प्राप्ति रु. 3.84 लाख की धनराश राजकोष में जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के वत वभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XXVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराश बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वतीय अनियम मतता है तथा निर्देशत कया है क जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराश राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समेकत निध से आहरित धनराश का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराश राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्यसंघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा कया जाय।

बाल विकास परियोजना अधकारी, लक्सर (हरिद्वार) के अभलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा माह सतम्बर 2015 से माह सतम्बर 2017 तक पदनाम बैंक खाते (खाता संख्या: 4132000100285505) में कुल रु. 3,84,494/- (सूची संलग्न) की ब्याज की धनराश अर्जित की गई थी जो लेखापरीक्षा तिथ (जनवरी 2018) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा कया जाना अपेक्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथ (जनवरी 2018) तक उक्त ब्याज की धनराश राजकोष में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त धनराश राजकोष में जमा नहीं की गई एवं इसे शीघ्र ही सुसंगत लेखाशीर्ष में राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत की पुष्टि करता है। अतः रु. 3.84 लाख की ब्याज की धनराश राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

बाल विकास परियोजना अ धकारी,लक्सर(हरिद्वार)।

बैंक खाता संख्या: 41 320001 00285505.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श (में .रु)
09.09.2015	26079=00
06.03.2016	51614=00
03.09.2016	22441=00
04.12.2016	33563=00
04.03.2017	9039=00
03.06.2017	114490=00
03.09.2017	127268=00
योग -	<b>3,84,494=00</b>

भाग दो ब

प्रस्तर 2:- धनराश की उपलब्धता के वावजूद विभागीय शथलता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 163 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रख रु 24.45 लाख की धनराश को अवरुद्ध रखा जाना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवत बालकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्तें पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रु 15000/-की धनराश तीन कस्तों में प्रदान की जायेगी ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी लखसर के योजना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु पात्र 903 आवेदकों को भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार द्वारा रु 135.45 लाख (15000\*903) की धनराश उपलब्ध कराई गयी थी परंतु इकाई द्वारा लाभार्थियों को धनराश वतरण कार्य में शथलता बरतते हुए लेखापरीक्षा अवध तक कुल 740 आवेदकों को ही धनराश का भुगतान कर लाभान्वित किया गया था जबकि 163 आवेदकों को योजना के लाभ से वंचित रख इस धनराश (रु. 24.45 लाख) को इकाई के बैंक खाते में अवरुद्ध रखा गया था जो योजना के दिशानिर्देशों के वपरीत था। जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार द्वारा धनराश आवंटित करते समय एक माह में योजना का लाभ प्रदान करने के स्पष्ट आदेश दिये गए थे परंतु धनराश आवंटन के 9 माह की अवध बीत जाने के पश्चात भी लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं दिया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि 163 वंचित लाभार्थियों को शीघ्र ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्त की पुष्टि करता है। अतः धनराश की उपलब्धता के वावजूद विभागीय शथलता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 163 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रख रु 24.45 लाख की धनराश को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

**STAN**

प्रस्तर-1 : वभागीय उदासीनता के कारण नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 3751 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखे जाने के परिणामस्वरूप रु 15000/- प्रति की दर से रु 562.65 लाख का लंबित दायित्व रखा जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्तें पूरी करते हों, को दिया जाना है। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रु 15000/-की धनराश तीन कस्तों में प्रदान की जायेगी।

बाल विकास परियोजना अधिकारी लक्सर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 4654 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कुल 903 आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चयनित किया गया, जबकि 3751 आवेदन पत्र परियोजना स्तर पर ही लंबित रखे गए थे जिन्हें अग्रम कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार को प्रेषित नहीं किया गया था। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की गहनता पूर्वक जांच करते हुए 15 दिनों में जनपद स्तरीय समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था जबकि उक्त दिशा निर्देशों की अनदेखी की गयी। इस प्रकार 3751 पत्र आवेदक योजना के लाभ से वंचित थे, जिनको लाभान्वित करने हेतु रु 562.65 लाख की धनराश की आवश्यकता थी। इस प्रकार इकाई पर रु 562.65 लाख की धनराश के भुगतान करने का लंबित दायित्व था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र ही स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार, कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा जनपद स्तरीय समिति द्वारा आवेदनपत्रों के स्वीकृत होने के बाद निदेशालय से धनराश की मांग की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार 15 दिनों के अंदर समस्त आवेदन पत्र जनपद स्तरीय समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था जबकि उक्त दिशानिर्देशों की अनदेखी कर इनको परियोजना स्तर पर लंबित रखा गया। अतः वभागीय उदासीनता के कारण 3751 लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित थे जिनको रु 15000/- प्रति की दर से रु 562.65 लाख का भुगतान किया जाना लंबित था। अतः इकाई पर रु 562.65 लाख की धनराश का भुगतान किये जाने का लंबित दायित्व रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**STAN**

प्रस्तर 2:- 2015-16 में रू. 464.68 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू. 527.37 लाख की धनराश के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न कया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460 /XVII(4)/2016-129/06TC, दिनांक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट 14/2017-18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता स मतियों को हस्तांतरित धनराश के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य से वका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधकारी कार्यालय को प्रेषित कया जाना चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधकारी, लक्सर, के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रयान्वयन हेतु इकाई को वर्ष 2015-16 में रू. 25.90 लाख, तथा वर्ष 2016-17 में रू. 112.70 लाख, की धनराश आवंटित हुई थी। जिसमें रू. 25.90 लाख तथा रू. 112.70 लाख के सापेक्ष रू. 138.60 लाख इकाई द्वारा व भन्न बैंकों के माध्यम से अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कया गया था। हस्तांतरित धनराश के उपभोग प्रमाणपत्र अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों के संबन्धित सुपरवाइजर से प्राप्त कर बाल विकास परियोजना अधकारी कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधकारी कार्यालय में प्राप्त कए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उक्त धनराशों के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाये गए, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों द्वारा उक्त धनराश का उसी मद में व्यय कया गया है जिस मद हेतु धनराश आवंटित की गई थी तथा जारी धनराश का पूर्ण उपभोग कया जा चुका है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रू. 438.78 लाख की धनराश आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा रू. 438.78 लाख का व्यय कया गया था तथा वर्ष 2016-17 में रू. 423.00 लाख की धनराश आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा रू. 414.67 लाख का व्यय कया गया, अवशेष धनराश समर्पित की गई थी। कुल व्यय की गई धनराश रू. 861.78 लाख के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कए जाने अपेक्षित थे जिससे यह स्पष्ट होता कि धनराश जिस मद के लिये आवंटित की गयी थी उसी मद में व्यय की गयी है, परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त नहीं कए गए थे, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि अधीनस्थ आंगनवाड़ी माता स मतियों द्वारा उक्त धनराश को उसी मद में व्यय कया गया है जिस मद

हेतु धनराश आवंटित की गई थी तथा जारी धनराश का पूर्ण उपभोग किया जा चुका है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधित सुपरवाइजर्स को आंगनवाड़ी के माध्यम से उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्त को पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2015-16 में कुल रू. 464.68 लाख तथा वर्ष 2016-17 में कुल रू. 527.37 लाख की धनराश के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'	भाग-II 'ब'	स्टैन
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।	-	-	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की स्वतंत्र रूप से प्रथम लेखापरीक्षा है।				

**भाग-IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताए:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया।

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अवध
1.	श्री धर्मवीर सिंह,	बा. व. परि. अध.	10.07.2015 से 15.03.2016 तक
2.	श्रीमति वीणा पुरोहित	बा. व. परि. अध.	16.03.2016 से 08/2016 तक
3.	श्री मोहित चौधरी	जि. का. अध.	09/2016 से 11/2016 तक
4.	सुश्री शैली प्रजापति	बा. व. परि. अध.	12/2016 से 02/2017 तक
5.	श्री अखलेश शुक्ला	जि. अल्प बचत अध.	03/2017 से 03/2017 तक
6.	सुश्री शैली प्रजापति	बा. व. परि. अध.	04/2017 से 11/2017 तक
7.	श्री अखलेश शुक्ला	जि. अल्प बचत अध	12/2017 से 01/2018 तक
8.	सुश्री जुलेखा	बा. व. परि. अध.	17.01. 2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र